guptaji.docx

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन(ग्रुप–4) विभाग

जयपुर दिनांक 09/04/2013

क्रमांकः– प. 25(9)साप्र/4/2013

आदेश

राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम राज्य में 26.01.13 से प्रभावी किया गया है। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(8)वित्त/ सा.वि.ले.नि./2011 दिनांक 26.11.12 एवं 27.11.12 (परिपत्र सं. 33/2012) की पालना में पोर्टल पर उपापन संस्था द्वारा उपापन से सम्बन्धित कार्यवाही, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 17 में प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

विभाग के अधीन सभी जिलों में स्थापित विश्राम भवनों के क्रय/उपापन से सम्बन्धित कार्यवाही के संपादन के लिये विभागाध्यक्ष के अधिकार सम्बन्धित जिला कलेक्टर को प्रदान किये गये हैं।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम (3) के तहत् विभागाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपापन समितियाँ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उनके आदेश से गठित की जायेंगी तथा नियम (4) के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाओं के अपलोड करने हेतु उपापन संस्था (Procurement Entity) के रुप में जिला कलेक्टर के नोडल अधिकारी द्वारा ही सम्बन्धित विश्राम भवन के कार्यालयाध्यक्ष (P.E.) से sppp3 में सूचनाएँ प्राप्त कर उपापन संस्था को user Id व password आवंटित किया जायेगा। अधिनियम की सूचनाओं को upload करने का उत्तरदायित्व संबंधित विश्राम भवन के मैनेजर का होगा।

आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

sd/–
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. नोडल अधिकारी, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) को सूचनार्थ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंधक, विश्राम भवन.................................।
5. बजट शाखा।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव (क)